

उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने का डोर टू डोर अभियान

चर्चा में क्यों?

27 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मशिन (नगरीय) की नदिशक नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिये नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मशिन (नगरीय) में 'डोर टू डोर' अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना होगा।

प्रमुख बिंदु

- मशिन नदिशक नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मशिन (नगरीय) में 'डोर टू डोर' अभियान के तीसरे चरण में गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होगा।
- उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़े को अलग-अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया।
- इस अभियान के तीन चरण हैं- पहला चरण प्रारंभिक व दूसरा सहमति था। दूसरा चरण 3 मार्च को समाप्त होगा।
- तीसरे व अंतिम चरण में कूड़े को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निकाय परधि में स्थिति गेटेड कालोनी, आरडब्ल्यूए कालोनी व ब्लक वेस्ट नकिलने वालों का चालान किया जाएगा। लोगों को पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से चालान के बारे में सचेत किया जाएगा तथा निकाय अधिकारी रोजाना निरीक्षण कर इसका पालन न करने वालों का चालान करेंगे।
- नेहा शर्मा ने बताया कि 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लेकर विशेष रूप से निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जुर्माने की राशि अधिक रहने वाली है।
- उन्होंने बताया कि सबसे कम जुर्माना नगर पंचायतों में लगेगा। यहाँ एक तो आबादी कम होती है और साथ में संसाधनों का अभाव होता है। लोगों को जागरूक करने के लिये यहाँ तीन चरण में अभियान भी चलेगा।
- नगर नगिम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था के लिये नज्जी कंपनी स्वच्छता कारपोरेशन के साथ करार किया है तथा कंपनी के कामकाज पर नज़र रखने के लिये नगर नगिम फीडबैक संस्था के साथ करार किया गया है।
- कंपनी को साफ निर्देश दिया गया है कि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके लेना है। अलग-अलग कंटेनरों में ही कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा। इसके साथ ही नगर नगिम ने चमड़े की कतरन, पेटे का वेस्ट और गोबर के लिये अलग-अलग गाड़ियाँ चला रखी हैं।